[19/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1503]

:– कार्यालय तहसीलदार मोहखेड़, जिला–छिन्दवाड़ा–:

//विधानसभा प्रश्न//

क्रमांक/811/तह0/कानूनगो/2024, मोहखेड़, दिनांक 05/12/2024.

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
(राजस्व) छिन्दवाड़ा

विषयः– जिलों से गुजरने वाले मार्ग एवं सेतु निर्माण के कार्य में अनियमितता के संबंध में। (विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1503 द्वारा (श्री निलेश पुसाराम उईके)

संदर्भः– आपका पत्र कमांक/ /त.शा./22/वि.स.प्र./20244–25 छिन्दवाडा दिनांक

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1503 श्री निलेश पुसाराम उईके विधायक, द्वारा लोक निर्माण मंत्री मध्यप्रदेश शासन से संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या प्रदेश के जिला पाण्ढुर्णा,छिन्दवाडा, जबलपुर व सिवनी की सीमाओ से गुजरने वाले स्टेट हाइवे जिला मार्गो व सीआईआरएफ मद से निर्मित/निर्माणाधीन मार्गो उपरी पृष्ट की व उनके सोल्डर की क्षतिग्रस्त स्थिति एवं इन मार्गो में निर्मित/निर्माणाधीन ब्रिज की गुणवत्ता संबंधी अनियमितताओ के संबंध मे स्थानीय जनप्रतिनिधियों व संगठनों द्वारा कोई पत्र शासन/विभाग/जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही तो कब तक की जावेगी ?	जानकारी निरंक है।
(ख)	क्या प्रदेश के जिला छिन्दवाडा की तहसील मोहखेड की ग्राम व ग्राम पंचायत हीरावाडी में लगभग एक माह पूर्व शासकीय मार्गो व भूमि में किये गए अतिकमण को मुक्त कराने की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां तो उक्त ग्राम मे वे सभी मार्ग व शासकीय भूमि अतिकमाण से मुक्त हो गई है ? यदि नही तो क्यों व कब तक मुक्त करा ली जावेगी ? क्या यह कार्यवाही सिर्फ गरीब तबके के परिवारों के विरुद्व की गई है ? यदि हॉ तो क्यों ?	उक्त संबंध में लेख है कि ग्राम पंचायत हीरावाडी द्वारा लिखित मे न्यायालय नायब तहसीलदार के यह शिकायत की गई थी की रोड के आसपास अतिक्रमण है, के संबंध मे चिन्हांकित कर अतिक्रमण प्रकरण तैयार कर अतिक्रमणकारियों को न्यायालय मे आहुत किया गया, न्यायालय नायब तहसीलदार सांवरी के रा0प्र0क्र0 08/अ–68/2024–25, 09/अ–68/2024–25 10/अ–68/2024–25, 11/अ–68/2024–25 ,12/अ–68/2024–25 13/अ–68/2024–25, ,14/अ–68/2024–25 15/अ–68/2024–25, ,16/अ–68/2024–25 21/अ–68/2024–25, 22/अ–68/2024–25 आदेश दिनांक 07/10/2024 के परिपालन मे दिनांक 15/10/2024 को गठित दल व पुलिस बल के साथ मौंके पर अतिकमण हटाने की कार्यवाही की गई । कुछ अतिकमणकारियों द्वारा स्वयं अतिकमण हटा लिया गया। शेष अतिकमणकारियो हटाने की कार्यवाही प्रारंभ है। मैनीखापा से धगडिया पहुंच मार्ग है।

उपरोक्तानुसार चाही गयी वांछित जानकारी आपकी ओर सादर सम्प्रेषित हैं।

तहसीलदार
मोहखेड

Scanned with CamScanner

प्रति
श्रीमान तहसीलदार महोदय
तह० मोहखेड़

विषय :- विधानसभा प्रश्न के जवाब के संबंध मे।
संदर्भ :- तारांकित प्रश्न क्रमांक 1503

महोदय जी,

विषयांतर्गत संबंध मे लेख है कि प्रश्न क्रमांक 1503 के प्रश्न क्रमांक ख मे चाही गई जानकारी के संबंध मे उत्तर है कि ग्राम पंचायत हीरावाड़ी द्वारा लिखित मे न्यायालय नायब तहसीलदार के यहा शिकायत की गई थी की रोड के आसपास अतिक्रमण हो रहा है कि संबंध मे सूची दी गई थी जिसमे 11 लोगो का नाम दिया गया था जिनको चिह्नांकित कर अतिक्रमण के प्रकरण तैयार कर 23/08/2024 को न्यायालय मे जमा कर दिया गया था जिसके परिपालन मे न्यायालय से अतिक्रमणकारियों की पेशी होने के उपरांत न्यायालय से रा० प्र० क्र० 008/अ-68/2024, 013/अ-68/2024-25, 015/अ-68/2024-25, 022/अ-68/2024-25, 011/अ-68/2024-25, 021/अ-68/2024-25, 016/अ-68/2024-25, 012/अ-68/2024-25, 014/अ-68/2024-25, 010/अ-68/2024-25, 09/अ-68/2024-25 आदेश दिनांक 07/10/2024 के परिपालन मे 15/10/2024 को गठित दल तथा पुलिस बल के समक्ष मौके पर उपस्थित होकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिसमे कुछ अतिक्रमणकारियो द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाया गया तथा शेष 4 अतिक्रमणकारियो की कार्यवाही न्यायालय मे प्रचलित है आदेश होते ही अतिक्रमण हटा लिया जाएगा। यह मैनीखापा से धमनिया पहुंच मार्ग है।

प्रतिवेदन सादर संप्रेषित है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

ओ. पी. साहू
पटवारी
प.ह.नं. 8

Scanned with CamScanner